राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2515/2024

गुलाम रसूल भाटी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2024
आदेश की दिनांक : 08.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी नर्स प्रथम के पद से दिनांक 30.06.2022 को आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि अपीलार्थी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर माह जुलाई से मिलने वाला एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2022 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 जिसमें कार्मिक को 30 जून को सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना उचित बताया है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

3. अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष पूर्ण होने पर एक जुलाई से एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्स प्रथम के पद से दिनांक 30.06.2022 को आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हुआ। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर एक वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को अधिवार्षिकी आयु पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी सेवानिवृत्त होने से पूर्व 01 जुलाई से 30 जून तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और सेवा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

6. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को 4 सप्ताह की अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)